कार्यालय नगर पंचायत मल्हार, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

फोन नं. 07752–273990 – E-mail :- cmo_malhar@rediffmail.com

क्र./ /निविदा/न.पं./2025–26 मल्हार, दिनांक /02/2026

निविदा सूचना .... दिनांक ...., दैनिक समाचार पत्र "................... एवं ...." बिलासपुर में आमंत्रित

//ऑनलाईन निविदा के नियम व शर्तें//

1. अमानत राशि टी.डी.आर./एफ.डी.आर. के रूप में स्वीकार की जावेगी। बिना अमानत राशि के निविदा मान्य नहीं की जावेगी एवं लंबित देयकों से अमानत राशि का समायोजन नहीं किया जावेगा।
2. निविदा ऑनलाईन अमानत राशि टी.डी.आर./एफ.डी.आर. एवं शर्त में उल्लेखित दस्तावेज स्वयं अथवा नोटरी से अभिप्रमाणित दस्तावेज दर भरा हुआ निविदा फार्म निर्धारित समयावधि (ऑनलाईन) में प्राप्त होने पर स्वीकार की जावेगी।
3. निर्माण कार्यो में एस.ओ.आर. दर से 10 प्रतिशत से कम दर प्राप्त होने पर अंतर की राशि पृथक से इकरारनामा के पूर्व जमा करना होगा। राष्ट्रीयकृत बैंको का बैंक गारंटी भी मान्य होगा एवं संचालनालय एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के परिपत्र क्र./यां.प्र./2017/11035 नया रायपुर दिनांक 29.09.2017 निर्देशानुसार पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. कार्यादेश राज्य शासन/सक्षम एजेंसी से आबंटन प्राप्ति उपरान्त कार्यवार/निकाय में राशि उपलब्धता अनुसार जारी किया जायेगा।
5. स्थल विवाद की स्थिति में निकाय द्वारा कार्यादेश निरस्त किये जाने की स्थिति में किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगा।
6. चल देयकों का भुगतान लेखा नियम अनुसार किया जायेगा। अंतिम देयक भुगतान का अनुमोदन कार्यपालन अभियंता से होने एवं कलेक्टर कार्यालय से रॉयल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद किया जायेगा।
7. नयूनतम छः माह एवं वर्षा ऋतु उपरान्त ही एस.डी. राशि देय होगी।
8. कार्यालय द्वारा /ऑनलाईन निर्धारित शर्तें, स्थल, प्राक्कलन अवलोकन ऑनलाईन निविदा भरने के पूर्व कर लिया जावे। जिससे अंतिम समय में कोई विवाद न हो।
9. कार्य में कमी अथवा वृद्धि होने पर ठेकेदार को कार्य पूर्ण/मान्य करना हेागा। किसी भी प्रकार विवाद की स्थिति में पी.डब्ल्यू.डी. मैन्युअल अनुसार निराकरण किया जाएगा।
10. निविदा दर स्वीकृति/अस्वीकृत करने का अधिकार निकाय को हैं जो निविदाकरों को मान्य होगा।
11. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
12. यदि निविदाकर्ता छत्तीसगढ़ की किसी भी निकाय/अन्य शासकीय विभागों में किसी भी प्रकार के कार्यो हेतु ब्लैक लिस्टेड हैं। तब उपरोक्त कार्य हेतु निविदाकर्ता अपात्र माना जाएगा।
13. ऑनलाईन तकनीकि दस्तावेज खोले जाने पर निर्धारित दस्तावेज त्रुटिपूर्ण/अधूरे पाये जाने पर वित्तीय निविदा नहीं खोला जावेगा एवं निविदा प्रेषितकर्ता उपरोक्त निविदा हेतु अपात्र माना जावेगा।
14. किसी भी प्रकार के स्थल विवाद हेतु ऑनलाईन निविदा आवेदन दिनांक तक संस्थाओं/नागरिकों से प्राप्त आवेदन पत्रों में विचार किया जावेगा।
15. निर्माण कार्य में आवश्यकतानुसार वाईब्रेटर, मिक्सर मशीन, ट्रीमिक्स मशीन, प्लाई/लोहे की शेटरिंग का उपयोग करना अनिवार्य हैं।
16. निकाय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा जिसे निविदाकर्ता को पालन करने हेतु बाध्य होगा।
17. शासन के नियमानुसार समस्त करों की कटौती की जावेगी तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों को निविदाकर्ता द्वारा मान्य करना होगा।
18. निविदा दिनांक तक पी.डब्ल्यू.डी. एस.ओ.आर. में संशोधित दरे मान्य होगी।
19. कार्यावधि में श्रमिकों को सम्पूर्ण प्रकार के सुरक्षा उपकरण ठेकेदार को उपलब्ध कराना एवं उपयोग करवाने की जवाबदारी होगी श्रमिक दुर्घटना संबंधी, कम श्रमिक भुगतान संबंधी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध निकाय से नहीं होगा। इस हेतु पूर्णतया ठेकेदार जवाबदेह होंगे।
20. निविदा समयावधि की गणना ले–आउट दिनांक से मानी जावेगी।
21. ठेकेदार को फिलिंग कार्य में फ्लाईएश एवं फ्लाईएश ब्रिक्स का उपयोग करना अनिवार्य हैं।
22. प्रत्येक कार्य में सामग्री परीक्षण रिपोर्ट शासकीय प्रयोगशाला/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से प्रस्तुत करने एवं सही होने के उपरान्त भुगतान देय होगा।
23. पी.डब्ल्यू.डी. भवन/नाली एस.ओ.आर. 01.01.2015 नाम का पालन सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य ठेकेदार को करना होगा।
24. राज्य शहरी विकास अभिकरण छ.ग. रायपुर के परिपत्र क्र. 92 दिनांक 26.05.2016 के पालन में देयकों में कटौतियां की जावेगी।
25. प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेज को स्वयं/नोटरी से अभिप्रमाणित ऑनलाईन होने पर ही प्राप्त निविदा को मान्य किया जावेगा।
26. कोई भी बिल नगर पंचायत मल्हार के प्रभार में पदस्थ सी.ए. के अनुशंसा के बाद ही देय होगा।

E:\CMO\G NP\arjun sir\SHARMA SIR Notsheet New\Nivida Anumodan men road se gajendra house.docx

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत मल्हार

Scanned with CamScanner

27. निविदाकार को ऑनलाईन जीवित–पंजीयन, GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, स्वयं/नोटरी अभिप्रमाणित किया जाकर ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।
28. कार्य स्वीकृत ठेकेदार से अनुबंध 100/– रू. के स्टाम्प में किया जावेगा।
29. निविदा में अतिरिक्त कार्य लागत एवं समयवृद्धि दिये जाने हेतु निकाय सक्षम एवं अधिकृत होगी। जिसे ठेकेदार/सप्लायर/फर्म को मान्य करना होगा।
30. "अ" निविदा फार्म में आमंत्रित कार्यों में परफारमेंस कटौती 5 प्रतिशत किया जावेगा। जो 03 वर्षा ऋतु पूर्णता उपरान्त कार्य की स्थिति सही होने पर वापसी योग्य होगा।
31. विभागीय वेबसाईट www.uad.cg.gov.in/ में निविदा अवलोकन एवं निविदा दर ऑनलाईन स्वीकार किया जावेगा।
32. अवकास होने की स्थिति में आगामी कार्यालयीन दिवस में कार्य किया जावेगा।
33. मैनुअल निविदा खोलने के समय ठेकेदारों को निर्धारित समय तथा तिथि में पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। अलग से ठेकेदारों को निविदा खोलने हेतु सूचित नहीं किया जावेगा।
34. शासन निर्देशानुसार ऐसे व्यक्तियों को जो किसी भी तरह के लिये पहले ठेके निश्चित समय और राशि में पूरा करने में असफल हुये निविदा में भाग नहीं लिया जा सकेगा।
35. निर्धारित निविदा प्रपत्र में कार्यपाल अभियंता द्वारा उल्लेखित कण्डिकाये स्वमेव लागू मानी जावेगी।
36. ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेज मिलान होने पश्चात् निविदा खोली जावेगी, अन्यथा प्रस्तुत दस्तावेज में कमी/असमानता पाये जाने पर निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
37. अनुबंध के समय निविदाकार को स्वयं उपस्थित होना होगा, प्रतिनिधि को अनुमति नहीं होगी।
38. निविदा कार्य में लगने वाली प्रयुक्त सामाग्री की व्यवस्था सफल ठेकेदार को करनी होगी।
39. कार्य प्रारम्भ नहीं करने या अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निविदाकार को आगामी 01 वर्ष के लिये किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जावेगा।
40. स्वीकृत निविदाकार को एक प्रमाण पत्र यह भी प्रस्तुत करना होगा कि या तो वह उसको नियोजन के अंतर्गत सिविल स्नातक अभियंता हैं, अथवा वह करार हस्ताक्षर करने से पूर्व ऐसे अभियंता के रखने का सिविल स्नातक अभियंता का सहमति पत्र सहित प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
41. ठेकेदार को खनिज विभाग से रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा द्वारा अंतिम 5 प्रतिशत राशि का भुगतान रोका जावेगा।
42. ठेकेदार के द्वारा निविदा की प्रतिलिपि यह विवक्षित करती हैं कि उसने निविदा की सूचना पत्र शर्तो एवं अन्य संविदा दस्तावेजों को पड़ लिया हैं एवं इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 1970/भारतीय मानकों किये जाने वाले कार्य के क्षेत्र विनिर्देश मानक एवं प्रक्रिया के संबंध में स्वयं को सतर्क कर लिया हैं। स्वयं की पहुंच कार्य स्थल आदि की जांच कर ली हैं एवं स्वयं को स्थल के कार्य आदि की उपयुक्ता एवं उपलब्धता के संबंध में संतुश्ट कर लिया हैं।
43. तात्कालिक आवश्यकतानुसार साईट प्रभारी (उप–अभियंता) के निर्देशानुसार परिवर्तन संशोधन ठेकेदार को मान्य होगा एवं उपरोक्त कार्यो हेतु निविदा दिवस तक ही एस.ओ.आर. दरें मान्य होगी।
44. निविदा प्रकाशन दिनांक से या बाद का अमानत राशि टी.डी.एस./एफ.डी.आर. पृथक–पृथक मान्य रहेगा।
45. इकरारनामा न करने या कार्य प्रारम्भ न करने के स्थिति में निकाय द्वारा ठेका निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में अमानत राशि राजसात करते हुए 01 वर्श तक निकाय की आगामी निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं रहेगी।
46. ऑफलाईन शपथ पत्र (100 रू. के स्टाम्प में) एवं मूल ई.एम.डी. राशि का एफ.डी.आर./टी.डी.आर, निर्धारित टेण्डर फार्म फीस (बैंकर्स चेक/डी.डी.) दस्तावेज ऑनलाईन निविदा में उल्लेखित दिवस तक निकाय में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से निकाय में प्राप्त होना अनिवार्य हैं।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत मल्हार

पृष्ठ. क्र./ /निविदा/न.पं./2025–26 मल्हार, दिनांक /02/2026

प्रतिलिपि :–

1. संचालक महोदय (प्रोग्रामर डाटा सेंटर), संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
2. जिलाध्यक्ष महोदय; बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पार्षद वार्ड क्र. .... नगर पंचायत मल्हार को सूचनार्थ।
5. श्री कमलेश कुमार साहू, भृत्य को कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत मल्हार

E:\CMO\G NP\arjun sir\SHARMA SIR Notsheet New\Nivida Anumodan men road se gajendra house.docx

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत मल्हार

Scanned with CamScanner